प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांक–03/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/मानव संसाधन/2017–18/8176-75 दिनांक–07/11/17

विषयः–**मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सकों एवं आयुष फार्मासिस्टों के तर्कसंगत तैनाती (rational deployment) के सम्बन्ध में।**

महोदय,

भारत सरकार के पत्र संख्या– Z-33014/38/2013-RCH (DC) दिनांक–10.03.2014 तथा उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सकों की तर्कसंगत तैनाती (rational deployment) निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

1. मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संविदा आयुष चिकित्सकों (विशेषकर संविदा आयुष पुरूष चिकित्सकों) को सर्वप्रथम ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) जहाँ पर कोई भी चिकित्सक (M.B.B.S./AYUSH) नियमित अथवा संविदा पर तैनात नहीं है, वहाँ पर तैनात करते हुये उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। जिससे जनपद में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन शेष न रहें।
2. यदि जनपद में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर चिकित्सक उपलब्ध हो, ऐसी स्थिति में चिकित्सा इकाईयों के कार्यभार/आवश्यकता के आधार पर संविदा आयुष चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी।
3. स्वास्थ्य इकाईयों (PHC/CHC/DH) पर जिस विधा का संविदा आयुष चिकित्सक तैनात किया जा रहा है, वहाँ पर उसी विधा के संविदा आयुष फार्मासिस्ट की तैनाती तथा उसी विधा की आयुष औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी स्वास्थ्य इकाईयों (PHC/CHC/DH) पर संविदा आयुष फार्मासिस्टों की तैनाती संविदा आयुष चिकित्सकों के बिना न की जाये।
4. तर्कसंगत तैनाती (rational deployment) करते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि जनपद स्तर पर संचालित आयुष विंग में तीनों विधा के एक–एक संविदा आयुष चिकित्सक एवं फार्मासिस्ट तैनात रहें।
5. आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद तथा यूनानी) द्वारा, उ0प्र0 शासन आयुष अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या– 3223/71– आयुष–1–2015–वि0प0–08/2011 दिनांक 09 अक्टूबर 2015 (छायाप्रति संलग्न) की अनुसूची में उल्लिखित एलोपैथिक औषधियों का यथा आवश्यक प्रयोग अपनी विधा की औषधियों के साथ–साथ किया जा सकता है।
6. आयुष चिकित्सकों द्वारा गंभीर रूप से सभी बीमार रोगियों की प्रारम्भिक देखभाल/प्रारम्भिक चिकित्सा के उपरान्त उन्हें उच्च चिकित्सा सुविधा की चिकित्सा इकाईयों (CHC/DH) पर उपचार हेतु सन्दर्भित किया जायेगा।
7. आयुष चिकित्सकों द्वारा मेडिकोलीगल, पोस्टमार्टम एवं आई0वी0 इन्जेक्शन के कार्य नहीं किये जायेंगे तथा शुद्ध आयुर्वेदिक/यूनानी शल्यकर्म यथा क्षारसूत्र से भिन्न शल्यकर्म भी नहीं किये जायेगें।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तवत् आयुष चिकित्सकों की एक सप्ताह के भीतर तर्कसंगत तैनाती कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात चिकित्सकों की सूची सहित सूचना तथा इस आशय का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र कि "जनपद में कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) चिकित्सक विहीन शेष नहीं है।" दिनांक 15.11.2017 तक प्रत्येक दशा में शासन एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक–03/एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/आयुष/मानव संसाधन/2017–18/ तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सचिव, आयुष, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

उत्तर प्रदेश शासन
आयुष अनुभाग–1
संख्या– 3223 /71–आयुष–1–2015–वि0प0–8 / 2011
लखनऊ दिनांक 07 अक्टूबर, 2015

अधिसूचना
आदेश

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (अधिनियम संख्या–23, सन् 1940) के अधीन बनायी गयी औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम–2 के खण्ड (ड ड) के उपखण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या–48, सन् 1970) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्हता रखने वाले और संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1939) के अधीन पंजीकृत व्यक्ति, नीचे अनुसूची में उल्लिखित आधुनिक चिकित्सा पद्धति की औषधि के प्रयोग के लिए उस सीमा तक हकदार होंगें जहाँ तक उन्हें उत्तर प्रदेश के उक्त अधिनियम, सन् 1970 के अधीन केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा समय–समय पर विहित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया हो।

जन स्वास्थ्य प्रसुविधाओं में संलग्न आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों को प्रजनन, मातृ एवं नवजात शिशु स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रयोजनार्थ ऐसी औषधियाँ विहित करने एवं कार्यविधि अपनाने की अनुमति होगी, जैसा उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से परामर्श कर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण के उपरान्त विहित की गयी हो।

:– अनुसूची :–

उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा लिखी जा सकने वाली औषधियाँ

- एण्टासिड्स, एच–2 रिसेप्टर्स ब्लाकर्स, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, एण्टीहिस्टेमिनिक
- जीवाणुनाशक (एण्टीबॉयोटिक्स)–कोट्राइमैक्सेजोल, ट्राइमिथोप्रिम, नॉरफ्लॉक्सेसिन, क्विनोलोन्स, टेट्रासाइक्लिन, जेन्टामाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, इराइथ्रोमाइसिन, नाइट्रोफ्यूरेटॉइन, मेट्रोनिडेजोल, टिनिडेजोल, एम्पिसिलिन
  डी0आई0डी0 राजयक्ष्मानाशक– आई0एन0एच0, रिफेमपिसिन, इथेमब्यूटोल, पाइराजिनामाइड
- कृमिनाशक – मेबेन्डाजोल, एलबेन्डाजोल
- मलेरिया नाशक– क्लोरोक्वीन क्विनीन, प्राइमाक्वीन, सल्फाडाक्सिन, पाइरीमिथेमाइड
- कुष्ठनाशक–डेपसोन, रफेम्पसिन, क्लोफेजिमाइन
- अमीबानाशक–मैट्रोनिडेलोज, टिनिडेजोल, डूलैक्सानाइड फूरोएट

- कण्डूनाशक (एण्टीस्केबीज)–बेन्जाइल बेन
  गामा बेनजीन हैक्साक्लोराइड
- स्थानिक फफूंदीरोधक (टापिकल एण्टीफंगल)
- विषाणुनाशक (एण्टीवायरल)
- एण्टीकोलिनर्जिक–डाइसाइक्लोमिन
- वमनरोधी (एण्टी इमैटिक)
- ज्वरघ्न एवं वेदनाशामक (एण्टीपाइरेटिक–एनॉलजेसिक)
- मृदुविरेचक (लेक्जेटिव).
- मौखिक पुर्नजलीकरण घोल (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन)
- लौहतत्व एव विटामिन (हिमेटिनिक्स एण्ड विटामिन्स)
- श्वासनली विस्फारक (ब्रॉन्कोडाइलेटर) साल्बूटामोल, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन
- कफ निस्सारक (एक्सपक्टोरेन्ट)
- मौखिक गर्भनिरोधक गोली (ओरल कन्ट्रासेप्टिव)
- जेनशियन वॉयलेट 1% सॉल्यूशनस
- माइकोनेजोल 1% कीम
- विटामिन ए लिक्विड
- विटामिन बी काम्पलेक्स
- फालिक एसिड टैब
- जाइलोकेन लोकल
- मेथाइलअर्गोमेट्राइन टेब्लेट

<u>महत्वपूर्ण</u>

गम्भीर रूप से सभी बीमार रोगियों की प्रारम्भिक देखभाल/प्रारम्भिक चिकित्सा के उपरान्त उन्हें रेफर किया जाना।

<u>न किये जाने वाले कार्य</u>

1–चिकित्सा विधिक प्रकरण (मेडिकोलीगल)
2–शवच्छेदन (पोस्टमार्टम)
3–अन्तःशिरा सूची (आई0वी0 इन्जेक्शन)
4–शुद्ध आयुर्वेदिक/यूनानी शल्यकर्म यथा क्षारसूत्र से भिन्न शल्यकर्म।

आज्ञा से,
(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव